न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 65/2024
रजिस्ट्रेशन नं. : 2024/79

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	अभियुक्त :– श्री राधेकृष्ण सोतानी पुत्र श्री हरीलाल सोतानी निवासी सब्जी मंडी, आजाद चौक, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स, आजाद चौक, बांसवाडा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 15–07–2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री शशिकान्त शर्मा** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **05–06–2024** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **19–02–2024** को 3.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु **मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स, आजाद चौक, बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री राधेकृष्ण सोतानी पुत्र श्री हरीलाल सोतानी** उपस्थित थे। **विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स, आजाद चौक, बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर दुकान में **सरसो तेल (लुज) स्टील की टंकी में करीब 8 लीटर रखा हुआ था,** जिसको एफ.एस.एस.ए. 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने का शक एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत खुला सरसो तेल विक्रय पर प्रतिबन्ध होने से उल्लंघन होना पाया गया [illegible] पर शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म [illegible] **सरसो तेल (लुज) 2 लीटर** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 300/- रु. विक्रेता को चुकाकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.09.20 17:32:52 IST
Reason: SelfAttested

सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **सरसो तेल (लुज) 2 लीटर को एक साफ सुखे बर्तन में डालकर एकरुप कर 4 साफ सुखे एवं खाली प्लास्टिक की बोतलो में बराबर बराबर मात्रा में भरकर चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1729** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/134 दिनांक 28–03–2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 242 दिनांक 29–02–2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **सरसो तेल (लुज)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1729** Regulation no.2.3.15 of food safety and standards regulations (Prohibition and Restrication on sales) 2011 as sold in loose condition है। विक्रेता ने **सरसो तेल (लुज)** (Prohibition and Restrication on sales) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.09.20 17:32:52 IST
Reason: SelfAttested

की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 20-06-2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 15-07-2024 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/134 दिनांक 28-03-2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 242 दिनांक 29-02-2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **सरसो तेल (लुज)** का नमूना कोड क्रमांक **W-1729** Regulation no.2.3.15 of food safety and standerd Regulations (Prohibition and Restrication on sales) 2011 as sold in loose condition पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः Regulation no.2.3.15 of food safety and standerd Regulations (Prohibition and Restrication on sales) 2011 as sold in loose condition **सरसो तेल (लुज)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री राधेकृष्ण सोतानी पुत्र श्री हरीलाल सोतानी निवासी सब्जी मंडी, आजाद चौक, बांसवाडा** (विक्रेता/ मालिक)

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.09.20 17:32:52 IST
Reason: SelfAttested

मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स, आजाद चौक, बांसवाडा को रूपये 10000/– (अक्षरे दस हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 15–07–2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.09.20 17:32:52 IST
Reason: SelfAttested